

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-14052022-235773
SG-DL-E-14052022-235773असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]	दिल्ली, शुक्रवार, मई 13, 2022/वैशाख 23, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 68
No. 279]	DELHI, FRIDAY, MAY 13, 2022/VAISAKHA 23, 1944	[N. C. T. D. No. 68

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIपर्यटन विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 13 मई 2022

No. PR & Pub./923/DTTDC/2018/PF-V/150 R&I.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कैबिनेट निर्णय संख्या 3069 दिनांक 24.02.2022 द्वारा 'दिल्ली फिल्म नीति - 2022' को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसलिए, 'दिल्ली फिल्म नीति-2022', जैसा कि इस अधिसूचना के अनुलग्नक -1 में निर्दिष्ट किया गया है, को निम्नलिखित कैबिनेट निर्णयों के साथ तत्काल प्रभाव से अधिसूचित किया जाता है;

- माननीय पर्यटन मंत्री, दिल्ली सरकार को, जब भी आवश्यक हो, अनुमोदित 'दिल्ली फिल्म नीति-2022' में किसी भी परिचालन मुद्दों को सम्मिलित करने वाले किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए अधिकृत करना।
- अनुमोदित 'दिल्ली फिल्म नीति-2022' के कार्यान्वयन के लिए माननीय पर्यटन मंत्री, दिल्ली सरकार के अनुमोदन से विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एमडी और सीईओ, डीटीडीसी को अधिकृत करना,
- ब्रांडिंग दिल्ली" के लिए डीटीडीसी को जीआईए के तहत कवर करके इस "दिल्ली फिल्म नीति-2022" को निधि देना।

आदेशानुसार और उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली की ओर से
स्वाति शर्मा, सचिव पर्यटन



दिल्ली फिल्म नीति 2022

दिल्ली सरकार

आप की सरकार

“अस्वीकरण”

उच्च सुरक्षा क्षेत्र अर्थात् राष्ट्रपति भवन के पास, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, राज पथ, संसद भवन, इंडिया गेट आदि इस नीति के दायरे में नहीं होंगे। इस प्रकार, यह नीति ऐसे उच्च सुरक्षा क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होगी इन क्षेत्रों में फिल्म शूटिंग, के लिए भारत सरकार की विशेष मंजूरी की आवश्यकता होगी।

ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म यानी ‘ई-फिल्म क्लियरेंस’ के माध्यम से दी गई अनुमतियां भी समय-समय पर जारी भारत सरकार के मंत्रालयों/संस्थानों के दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अधीन होंगी।

1. परिचय

दिल्ली, भारत और दुनिया का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह एक विशाल शहर है जहां विविध संस्कृति, विविध लोगों और विविध परिदृश्य मिलते हैं। दिल्ली भारत में फिल्म निर्माण/शूटिंग के लिए पूरुणतः उपयुक्त शहर है। इस शहर में पुरानी विरासत और आधुनिक भव्यता का मिलाजुला परिवेश मिलता है और जिसके कारण यह फिल्म निर्माताओं को दोनों प्रकार के बहुत सुन्दर परिवेश प्रदान करता है। जहां एक हम ओर पुरानी दिल्ली की रोचक गलियों को देख सकते हैं, वहीं दूसरी ओर, यहाँ नई दिल्ली की विलक्षण सड़कें और आसपास के मनमोहक क्षेत्र हैं। दिल्ली में विभिन्न लोकप्रिय स्थान भी हैं जिनका उपयोग सुन्दर पृष्ठभूमि के लिए फिल्मों में किया गया है।

दिल्ली में, हर साल लगभग 30 फिल्मों की शूटिंग की जाती है जो इसकी वास्तविक क्षमता से काफी कम लगती है। दिल्ली के भू-भौतिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ की विविधता का लाभ लेकर और दिल्ली में एक संपन्न फिल्म उद्योग स्थापित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाकर फिल्म निर्माण में एक लीडर के रूप में दिल्ली में अगुआई करने की अपार क्षमता है। कई फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक और अभिनेता जिनका दिल्ली से संबंध है, वे मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद आदि शहरों में अपनी प्रतिभा का उपयोग कर रहे हैं। ऐसी प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिये इन्सेनटिव और उपायों के साथ फिल्म नीति को प्रस्तुत करना, प्रतिभा को इस शहर में बनाए रखने और रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध करने में फायदेमंद होगा।

सरकार का यह निरंतर प्रयास रहा है कि वह दिल्ली में व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दूरदर्शी कदम उठाए। इन प्रयासों के साथ ही और निर्माताओं को एक अनुकूल और कुशल फिल्म निर्माण पारिस्थितिकी-तंत्र प्रदान करने के लिए तथा फिल्म संबंधी स्वीकृति प्रदान करने के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं और परंपराओं को सरल बनाना है ताकि दिल्ली में फिल्म निर्माण प्रक्रिया को और आसान बनाया जा सके।

दिल्ली फिल्म नीति में आपका स्वागत है – 2022

2. दृष्टिकोण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फिल्म निर्माण का प्रोत्साहन करके पर्यटन में समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख दृष्टिकोण के साथ योग्य वातावरण बनाना।

3. परिभाषा

- “नीति” का अर्थ है “दिल्ली फिल्म नीति 2022”;
- ‘रा रा क्षेत्र दि स’ का अर्थ है “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार”;
- ‘डीटीटीडीसी’ का अर्थ है दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लिमिटेड / दिल्ली पर्यटन;
- “एमडी एण्ड सीईओ” का अर्थ है “प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीटीटीडीसी”;
- ‘भारत सरकार (जी ओ आइ)’ का अर्थ है “भारत सरकार के मंत्रालय, विभाग, संस्थान और स्वायत्त निकाय” ।
- ‘फिल्म’ का अर्थ है एक सिनेमैटोग्राफ फिल्म अथवा सिनेमा चलचित्र।
- ‘सिनेमैटोग्राफ फिल्म’ का अर्थ है दृश्य रिकॉर्डिंग का कोई भी काम है और जिसमें ध्वनि रिकॉर्डिंग शामिल है और ‘सिनेमैटोग्राफ’ का अर्थ वीडियो फिल्मों सहित सिनेमैटोग्राफी के अनुरूप किसी भी प्रक्रिया द्वारा निर्मित किसी भी कार्य को शामिल करना होगा और इसमें फीचर फिल्में, लघु फिल्म, वृत्तचित्र, टीवी श्रृंखला, वेब श्रृंखला और विज्ञापन फिल्में शामिल होंगी।

4. उद्देश्य

दिल्ली फिल्म नीति 2022 के द्वारा फिल्मों के माध्यम से दिल्ली की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रोफाइल की ब्रांडिंग करना है। दिल्ली फिल्म नीति 2022 के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. कलात्मक, रचनात्मक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहित करना।
2. फिल्म शूटिंग के लिए स्वीकृति प्रक्रियाओं को आसान बनाकर दिल्ली को एक जीवंत फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांड करना।
3. घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर दिल्ली में फिल्मों की शूटिंग के लिए अधिक से अधिक संख्या में फिल्म निर्माताओं और उत्साही दर्शकों को आकर्षित करना।
4. दिल्ली में स्थानीय प्रतिभाओं के विकास और उन्हें समर्थन प्रदान करने तथा कुशल पारिस्थितिकी-तंत्र प्रदान करना।

5. कार्यनीति

दिल्ली फिल्म नीति 2022 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, दिल्ली में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए तीन व्यापक फ्रेमवर्क आवश्यक हैं:

5.1 संस्थागत उपाय

ऑनलाइन सिंगल विंडो अनुमति मकैनैज़म (ई - फिल्म क्लीयरेंस)

ऑनलाइन सिंगल विंडो अनुमति मकैनैज़म (ई - फिल्म क्लीयरेंस) दिल्ली में फिल्मों के विकास को सहयोग और बढ़ावा देगा। दिल्ली फिल्म नीति 2022 का उद्देश्य फिल्म व्यवसाय को आसान बनाना है। यह प्रक्रिया विभिन्न हितधारक एजेंसियों से फिल्म शूटिंग के लिए स्वीकृति प्रक्रियाओं को तेज करेगा। लगभग 25 एजेंसियों को दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास

निगम (डीटीटीडीसी, इसे आगे “दिल्ली पर्यटन” कहा जाएगा), जो दिल्ली सरकार का एक उपक्रम है, के साथ विभिन्न फिल्म प्रोडक्शन हाउसों को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। दिल्ली पर्यटन को इस उद्देश्य के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया जाएगा।

5.2 नीतिगत उपाय

दिल्ली को फिल्म पर्यटन गंतव्य स्थान के रूप में बढ़ावा देने के लिए निर्धारित नीतिगत उपाय, दिल्ली को शूटिंग और फिल्म निर्माण गंतव्य स्थान के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण होंगे। दिल्ली फिल्म नीति 2022 के अनुसार इंसेंटिव देगी और दिल्ली में फिल्म संबंधी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का निर्माण और विकास कर शूटिंग लोकेशनो को और अधिक विकसित करेगी। ये उपाय दिल्ली में फिल्म निर्माण और फिल्म निर्माण एजेंसियों को आकर्षित करेंगे। इसके अलावा, फिल्म-बिरादरी के प्रतिभागियों के साथ विभिन्न अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय उद्योग कार्यक्रमों, समारोहों में भागीदारी और अन्य इसी प्रकार के कार्यक्रमों की मेजबानी के माध्यम से फिल्म शूटिंग के लिए दिल्ली को उन्नत किया जाएगा।

फिल्म शूटिंग के लिए दिल्ली को एक आकर्षक गंतव्य स्थान बनाने के लिए निम्नलिखित उपायों की पहचान की गई है:

1. दिल्ली फिल्म नीति 2022 को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक उपाय और इन्सेंटिव होंगे
2. दिल्ली पर्यटन में ही एक “फिल्म शूटिंग प्रमोशन प्रकोष्ठ” की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में फिल्म निर्माण को आसान बनाने के लिए “फिल्म सुविधा समिति”, “फिल्म विकास प्रकोष्ठ” और एक “फिल्म सलाहकार बोर्ड” का गठन भी किया जाएगा।
3. दिल्ली फिल्म नीति 2022 में दिल्ली को एक पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित करने के लिए “दिल्ली फिल्म फंड” की स्थापना की जाएगी। इस फंड का उपयोग फिल्म निर्माताओं और निर्माण एजेंसियों के सहयोग और संवर्धन के लिए किया जाएगा।
4. फिल्म निर्माण एजेंसियों को दिल्ली में शूटिंग के लिए विशिष्ट सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए “दिल्ली फिल्म कार्ड” जारी किया जाएगा। दिल्ली के पड़ोसी शहरों की फिल्म निर्माण एजेंसियों को विशेष पैकेज की पेशकश की जाएगी।

5.3 सहायक उपाय

ये उपाय दिल्ली में फिल्म निर्माण एजेंसियों के लिए अत्यधिक कुशल श्रमिक बल के विकास में सहयोग करेंगे। दिल्ली फिल्म नीति 2022 का उद्देश्य दिल्ली के स्थानीय प्रतिभाशाली युवाओं को पेशेवर विकास और प्रशिक्षण देना है, जिसमें कलाकार, कर्मी दल, एक्स्ट्रा कलाकार, तकनीशियन और कई अन्य शामिल हैं। दिल्ली का कौशल पारिस्थितिकी-तंत्र दिल्ली में एक मजबूत पेशेवर पारिस्थितिकी-तंत्र का निर्माण करेगा।

6. नीति अवधि

नीति मई 2022 से 5 साल की अवधि के लिए या किसी अन्य नीति द्वारा प्रतिस्थापित होने तक, जो भी पहले हो, संचालन में रहेगी। तथापि, फिल्म सलाहकार बोर्ड के परामर्श से फिल्म निर्माण एजेंसियों की बदलती जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीतिगत प्रावधानों में समय-समय पर संशोधन भी किया जा सकता है।

7. अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नोडल एजेंसी

7.1 विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय करके दिल्ली में फिल्म निर्माण एजेंसियों के लिए स्वीकृति प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी), दिल्ली सरकार के सरकारी उपक्रम को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

7.2 इस उद्देश्य के लिए, दिल्ली पर्यटन संबंधित एजेंसियों और अन्य सभी हितधारकों के साथ समन्वय के लिए ऑनलाइन संस्थागत मकेनिजम विकसित करेगा ताकि फिल्म निर्माण एजेंसियों/ फिल्म निर्माताओं को शूटिंग के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जा सके। अनुमति की पूरी प्रक्रिया को 15 कैलेंडर दिनों में मंजूर कर दिया जाएगा।

7.3 यदि निर्धारित समयावधि में स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती, तो एजेंसी आवेदक और दिल्ली पर्यटन को देरी के लिए स्पष्ट कारण बताते हुए सूचित करेगी।

7.4 तथापि, यदि निर्धारित समय-सीमा में अनुमति प्रदान नहीं की जाती है, तो दिल्ली पर्यटन द्वारा मानित अनुमति प्रदान की जाएगी, जब तक कि एजेंसी दिल्ली पर्यटन को समय पर अनुमति प्रदान नहीं कर पाने के कारणों के बारे में सूचित नहीं करती है। हालांकि, यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 15 कैलेंडर दिनों के भीतर दिल्ली पर्यटन तक पहुंचनी चाहिए।

7.5 यदि फिल्म निर्माता या प्रोड्यूसर किसी अभिनेता की तिथियों के कारण या किसी अन्य कारण से कम समय (जैसे शूटिंग से 10 दिन या 5 दिन पहले या और कम दिनों) में अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं, तो अनुमोदन पर विचार किया जा सकता है, (बशर्ते कि सभी मानदंडों का पालन किया गया हो)। तथापि, ऐसे मामलों के लिए प्रीमियम राशि, जो संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाएगी, अदा करनी होगी।

7.6 इसके अतिरिक्त, एक बार फिल्म निर्माण एजेंसियों/फिल्म निर्माताओं को अनुमति दिए जाने के बाद, फिल्म शूटिंग को असामयिक परिस्थितियों को छोड़ कर किसी भी कारण से रोका नहीं जा सकता है। और, उस स्थिति में, दिल्ली पर्यटन और फिल्म निर्माण एजेंसी को समय पर सूचित किया जाएगा।

8. ऑनलाइन एकल खिड़की अनुमति मकैनैज़म : 'ई - फिल्म क्लीयरेंस'

8.1 अधिक पारदर्शिता प्रदान करने, समयबद्ध स्वीकृति प्रदान करने और हितधारक एजेंसियों एवं फिल्म प्रोडक्शन फ़र्मों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए दिल्ली पर्यटन द्वारा एक ऑनलाइन सिंगल विंडो अनुमति मकैनैज़म (ई-फिल्म क्लीयरेंस) बनाया जाएगा। इससे दिल्ली में शूटिंग के लिए फिल्म निर्माण इकाइयों और फिल्म निर्माताओं का समय और प्रयास दोनों कम हो जायेंगे।

ऑनलाइन मकैनैज़म में निम्नलिखित विशेषताएं होंगी:

1. डीटीटीडीसी की वेबसाइट पर 'फिल्म शूटिंग सिंगल विंडो पोर्टल' के प्रबंधन और संचालन के लिए डीटीटीडीसी नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा।

2. ऑनलाइन पोर्टल में डीटीटीडीसी और गैर- डीटीटीडीसी दोनों स्थानों पर शूटिंग के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट मकैनैज़म उपलब्ध होगा।

3. मल्टीलेवल यूजर लॉग-इन विकल्प को अभिगम अनुमतियों के साथ जोड़ा जाएगा –

(i) इस प्रणाली में सभी हितधारकों, जिनमें आवेदक, प्रशासक (दिल्ली पर्यटन) और संबंधित अनुमतिदाता प्राधिकारी संस्थाएं सम्मिलित हैं, को पोर्टल पर अभिगमन अनुमति प्रदान करने का मकैनैज़म होगा।

(ii) स्वतंत्र एजेंसियों के अतिरिक्त दिल्ली और भारत सरकार की सभी स्थान विशेष अनुमति प्राधिकारी को इस प्रणाली में अभिगमन अनुमति होगी।

(iii) इस प्रणाली में स्थान-विशिष्ट और सांविधिक अनुमति (दिल्ली पुलिस की अनुमति सहित) दोनों के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए मकैनैज़म होगा।

(iv) इस प्रणाली में विभिन्न हितधारकों के सभी फिल्म शूटिंग स्थलों की सूची सम्मिलित होगी।

(v) इस प्रणाली में प्रत्येक आवेदन की लोकेशन आवश्यकता अनुसार संबंधित प्राधिकारियों को आवंटित करने का स्वचालित मकैनैज़म होगा।

(vi) इस प्रणाली में अनुमतिदाता प्राधिकारियों को विशिष्ट स्थानों के लिए आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने की अनुमति देने के लिए मकैनैज़म होगा।

(vii) इस प्रणाली में ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान होगा।

(viii) इस प्रणाली में विभिन्न हितधारकों और आवेदक के बीच आसान सूचना सम्प्रेषण मकैनैज़म होगा जिसके द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से नोटिफिकेशन और अलर्ट संप्रेषित किए जा सकेंगे।

(ix) इस प्रणाली में आवेदन के सफलतापूर्वक प्रेषण के बाद पावती रसीद दी जा सकेगी।

(x) प्रणाली में प्रत्येक आवेदन की प्रगति को ट्रैक किया जा सकेगा।

(xi) सिस्टम अनुमति पत्र तैयार करेगा जिसे आवेदक लॉगिन द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है।

(xii) इस प्रणाली में आवेदकों को शिकायत निवारण के लिए प्रतिक्रिया प्रेषित करने की अनुमति होगी।

9. फिल्म शूटिंग प्रमोशन प्रकोष्ठ

डीटीडीडीसी में एक फिल्म शूटिंग प्रमोशन प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। यह प्रकोष्ठ निम्नलिखित जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा:

- i. यह प्रकोष्ठ दिल्ली में फिल्म शूटिंग में रुचि रखने वाली प्रोडक्शन कंपनियों / लाइन निर्माताओं को पंजीकृत करेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए, सभी जानकारी दिल्ली पर्यटन की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध होगी। वेबसाइट पेशेवरों के नामांकन और फिल्म निर्माताओं द्वारा जानकारी प्राप्ति के लिए एकल मंच के रूप में कार्य करेगी।
- ii. यह प्रकोष्ठ उन छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति / वजीफे प्रदान करने के लिए एक मकेनिजम स्थापित करेगा, जो दिल्ली के छात्र हों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी), दिल्ली, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीटीआई), पुणे और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (कोलकाता), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (अहमदाबाद), या किसी अन्य मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान के छात्र हों, और जिन्हें फिल्म विकास प्रकोष्ठ की स्वीकृति प्राप्त हो।
- iii. इस प्रकोष्ठ में मानक संचालन कार्यप्रणाली, विस्तृत दिशानिर्देश, नियम, प्रक्रिया चेकलिस्ट और सभी आवश्यक प्रारूप और समझौते उपलब्ध कराए जाएंगे जो दिल्ली फिल्म नीति के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होंगे।
- iv. यह प्रकोष्ठ दिल्ली स्थित प्रोडक्शन हाउसों की एक सूची रखेगा और उनसे ऐसी सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा जो फिल्म निर्माताओं को दिल्ली में फिल्म निर्माण के लिए आकर्षित करने के लिए दिल्ली सरकार की प्रमोशन संबंधी गतिविधियों, अनुमति और नई योजनाओं से संबंधित होंगी।
- v. यह प्रकोष्ठ अपनी वेबसाइट पर दिल्ली स्थित फिल्म निर्माण से जुड़े कर्मचारी दल जैसे मेकअप कलाकार, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, हेयरड्रेसर, सेट डिजाइनर, बिजली और प्रकाश तकनीशियन, स्पॉट बॉय, सहायक निर्देशक और फिल्म उद्योग से संबंधित अन्य पेशेवर स्टाफ से संबंधित डेटाबेस को तैयार और अनुरक्षित करेगा। इससे दिल्ली में फिल्म शूटिंग के लिए दिल्ली के प्रतिभाशाली युवाओं की सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोडक्शन हाउसों को आसानी से जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।
- vi. लाइन प्रोड्यूसरों के लिए, यह आवश्यक होगा कि वे समय-समय पर अपने स्वयं के प्रोफाइल को अपडेट करें और उनके द्वारा किए गए पिछले काम की जानकारी साथ ही सम्बद्ध प्रोड्यूसरों से काम के लिए संतुष्टि पत्र भी उपलब्ध कराएं ताकि जो लोग वेबसाइट पर लाइन प्रोड्यूसरों को खोज कर रहे हैं, वे लाइन प्रोड्यूसरों की उनके पेशेवर कौशल के आधार पर रेटिंग और क्षमता भी देख सकें।
- vii. इस प्रकोष्ठ के माध्यम से अनुमति की प्रक्रियाओं से संबंधित मामला या शिकायत और अन्य कोई महत्वपूर्ण मामला जो शिकायत निवारण डेस्क के माध्यम से प्राप्त होगा, पर विचार किया जाएगा।

10. फिल्म सुविधा समिति

डीटीडीडीसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक फिल्म सुविधा समिति का गठन किया जाएगा और इस समिति में हितधारक एजेंसियों के नोडल अधिकारी शामिल होंगे। समिति में विभिन्न एजेंसियों, विभागों, प्राधिकरणों और अन्य प्रमुख हितधारकों के अपर निदेशक या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी शामिल होंगे:

- i. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)
- ii. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD)
- iii. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA)
- iv. दिल्ली परिवहन निगम (DTC)
- v. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC)

- vi. दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL)
- vii. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA)
- viii. पर्यावरण और वन विभाग, दिल्ली सरकार
- ix. कला, संस्कृति और भाषा विभाग, दिल्ली सरकार
- x. राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार
- xi. पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार
- xii. पुलिस उपायुक्त (कानून और व्यवस्था)
- xiii. पुलिस उपायुक्त (यातायात)
- xiv. पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC)
- xv. इस्कॉन मंदिर ट्रस्ट
- xvi. जामा मस्जिद और हजरत निजामुद्दीन दरगाह
- xvii. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC)
- xviii. उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North DMC)
- xix. उत्तर रेलवे
- xx. लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार (PWD)
- xxi. दक्षिण दिल्ली नगर निगम (SDMC)
- xxii. भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI)
- xxiii. सुंदर नर्सरी, निजामुद्दीन
- xxiv. दिल्ली सरकार या भारत सरकार का कोई अन्य विभाग और फिल्म निर्माण एजेंसी के अनुरोध के अनुसार कोई एजेंसी।

यह समिति त्रैमासिक बैठक करेगी और ई-फिल्म मंजूरी के कुशल संचालन के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा और विचार-विमर्श करेगी।

11. फिल्म विकास प्रकोष्ठ

दिल्ली पर्यटन द्वारा एक फिल्म विकास प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं द्वारा दिल्ली में फिल्म निर्माण के विकास और संवर्धन के लिए कार्य करेगा। इस प्रकोष्ठ की सह-अध्यक्षता दिल्ली पर्यटन के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और फिल्म उद्योग के प्रमुख फिल्म व्यक्तित्व जैसे फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता या निर्माता द्वारा की जाएगी। इसमें सरकारी अधिकारी, तकनीकी पेशेवर और फिल्म उद्योग के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

प्रकोष्ठ के पास निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगी:

1. यह प्रकोष्ठ दिल्ली फिल्म नीति 2022 के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए फिल्म निर्माताओं / प्रोड्यूसरों की पात्रता तय करेगा।
2. यह समय-समय पर दिल्ली में फिल्मों के विकास और प्रचार के लिए रणनीतियों पर चर्चा करेगा।
3. यह पूंजी निवेश के साथ धन जारी करने और फिल्म क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा।
4. फिल्म विकास प्रकोष्ठ की बैठक छह महीने में एक बार होगी।

12. फिल्म सलाहकार बोर्ड

फिल्म सलाहकार बोर्ड सलाह और मार्गदर्शन करेगा कि दिल्ली फिल्म नीति 2022 के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए। इसमें प्रमुख फिल्म निर्माता और पेशेवर (विषय वस्तु) विशेषज्ञ शामिल होंगे जो दिल्ली में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और समावेशी विकास के लिए समुदाय को शामिल करने के तरीके के बारे में अंतर्दृष्टि और विचार प्रदान करेंगे। वे दिल्ली फिल्म नीति 2022 के उद्देश्यों को उत्कृष्टता तक पहुँचाने के लिए ताजा जानकारी साझा करेंगे।

13. कार्यान्वयन

13.1 दिल्ली में फिल्म शूटिंग के लिए सभी आवेदन केवल दिल्ली पर्यटन के 'ई - फिल्म क्लियरेंस' पर प्राप्त किए जाएंगे

13.2 यह नीति उन सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पात्र फिल्म निर्माताओं पर लागू होगी जो प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमति प्राप्त करने और सब्सिडी/प्रोत्साहन का दावा करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं और प्रोडक्शन हाउसों के लिए यह उनके लाइन प्रोड्यूसर/ प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होगी कि वे विदेश मंत्रालय (एमईए) और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) आदि से सभी अपेक्षित अनुमातियाँ प्राप्त करें।

13.3 'ई- फिल्म क्लियरेंस' मकेनिजम फिल्म शूटिंग के लिए प्राप्त आवेदनों को समय पर अनुमति सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित हितधारक एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा।

13.4 नीति के जारी होने के बाद, निर्माता निर्धारित प्रारूप में एफएसपीसी को इन्सेनटिव के लिए आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा।

13.5 एफएसपीसी द्वारा गठित एक वित्त समिति इन्सेनटिव के आवेदन की जांच करेगी, और निर्णय के लिए अपनी सिफारिशों के साथ फिल्म विकास प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को अग्रेषित करेगी।

13.6 एफएसपीसी फिल्मों के पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विभिन्न सेवा प्रदाताओं और डीटीडीडीसी के बीच एमओयू की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेगा।

13.7 एफएसपीसी दिल्ली में सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल के चेन समूहों, अन्य एम्फीथिएटर और फिल्म डिस्ट्रिब्यूटर्स के बीच एमओयू की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेगा।

13.8 एक अंडरटेकिंग/वचन-पत्र देना होगा जिसमें लिखा हो कि ई-फिल्म क्लियरेंस के माध्यम से फिल्म शूटिंग के लिए आवेदक दिल्ली पर्यटन, दिल्ली सरकार और लोकेशन/ संबंधित हितधारक एजेंसियों को फिल्म में और फिल्म के प्रचार के दौरान प्रमुख क्रेडिट प्रदान करेंगे।

13.9 फिल्म निर्माताओं द्वारा दिल्ली पर्यटन को किसी भी मंच पर भविष्य में उपयोग के लिए सभी अधिकारों के साथ निम्नलिखित प्रदान किया जाएगा:

क	पूरी फिल्म का एक छोटा ऑडियो और वीडियो ट्रेलर	रिलीज के बाद
ख	एक लघु डाक्यूमेंट्री क्लिप जो दिल्ली के लोकेशन के उपयोग को दर्शाये	रिलीज के बाद
ग	निर्देशकों फिल्म/कर्मचारियों की दिल्ली के बारे में बताते हुए परदे के पीछे की सीन क्लिप	रिलीज के बाद
घ	दिल्ली पर्यटन अभिलेखागार के लिए फिल्म पोस्टर	रिलीज के बाद
ङ	दिल्ली पर्यटन और लोकेशन के लिए सोशल मीडिया प्रचार	रिलीज के बाद
च	फिल्म / परियोजना की हाई रेजोलूशन पोस्टर छवियाँ	रिलीज के बाद
छ	'दिल्ली में फिल्माया गया' अंतिम प्रोडक्शन रोलिंग क्रेडिट दिल्ली सरकार, डीटीडीडीसी तथा लोकेशन हितधारकों के लोगो के साथ	रिलीज के बाद

इनका विवरण परिचालन दिशानिर्देशों में प्रदान किया जाएगा।

14. दिल्ली फिल्म कोष

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, फिल्म प्रमोशन के दृष्टिकोण से दिल्ली को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य के रूप में ब्रांडिंग करने के लिए 'दिल्ली फिल्म कोष' स्थापित करेगी। इस कोष का उपयोग दिल्ली में फिल्म शूटिंग के लिए सब्सिडी/प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किया जाएगा। एक प्रोडक्शन हाउस / फिल्म निर्माता को प्रदान किया जाने वाला प्रोत्साहन दो प्रकार का होगा:

क) प्रदर्शन आधारित वित्तपोषण - यह मुख्य रूप से फिल्म निर्माताओं और फिल्म वितरकों को पुरस्कृत करने के लिए फिल्म प्रस्तुतियों के लिए प्रदान किया जाएगा। इसका उपयोग दिल्ली में स्थित या दिल्ली में शूट की गई फिल्मों के लिए विपणन और प्रचार उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा।

ख) समर्थन वित्त पोषण - यह कम बजट की फिल्मों, टेलीफिल्म्स और प्रस्तुतियों के लिए विपणन और प्रचार गतिविधियों के लिए नए और उभरते हुए अदाकारों को सहायता प्रदान करेगा।

ग) निष्पादन आधारित वित्तपोषण और समर्थन वित्तपोषण के लिए महत्वपूर्ण मानदंड होंगे:

अ) दिल्ली में शूटिंग के दिनों की संख्या

आ) फिल्मों में दिल्ली का कंटेंट

इ) दिल्ली के स्थानों को दिया गया स्क्रीन समय

ई) दिल्ली के स्थानीय कलाकार

दिल्ली फिल्म कोष को रुपये 30 करोड़ के प्रारंभिक अनुदान के साथ संपन्न किया जाएगा।

15. अंक और सब्सिडी

15.1 फिल्म नीति के प्रावधानों के अनुसार फिल्म विकास प्रकोष्ठ फीचर फिल्मों/टीवी सीरीज/वेब सीरीज और ओटीटी परियोजनाओं और किसी अन्य फीचर फिल्मों/वृत्तचित्रों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

15.2 अंक और सब्सिडी के लिए विज्ञापन फिल्में और टीवी विज्ञापन अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

15.3 फिल्म निर्माताओं को फिल्मों की नाटकीय रिलीज के लिए सीबीएफसी प्रमाणपत्र लेना चाहिए।

15.4 ओटीटी रिलीज के लिए, परियोजना को नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, ज़ी 5, सोनी लाइव, डिज्नी हॉटस्टार, वूट, एमएक्स प्लेयर, एएलटी बालाजी जैसे निम्नलिखित ओटीटी प्लेटफार्मों में से किसी पर भी जारी किया जाना चाहिए। इस सूची को प्रचलनात्मक दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

15.5 यदि केवल एक वेब सीरीज या वेब फिल्म के पायलट को दिल्ली में शूट किया जाता है, तो प्रोडक्शन एजेंसी सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगी।

15.6 सभी शूटिंग के लिए, सब्सिडी हेतु लाइन बजट से नीचे केवल योग्यता पर विचार किया जाएगा।

15.7 दिल्ली पर्यटन, फिल्म रिलीज के बाद 90 दिनों के भीतर फिल्म निर्माता को सब्सिडी की राशि जारी करेगा।

15.8 योग्य कर्मिंदल में मेकअप कलाकार, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, हेयरड्रेसर, सेट डिजाइनर, बिजली एवं प्रकाश तकनीशियन, स्पॉट बॉय, सहायक निर्देशक तथा फिल्म विकास प्रकोष्ठ द्वारा तय की गई कोई अन्य प्रासंगिक भूमिका सम्मिलित है।

15.9 लाइन से नीचे योग्य प्रोडक्शन लागत में फिल्म निर्माण एजेंसी द्वारा दिल्ली में वहन किए गए, प्री-प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हेतु व्यय तथा फिल्मांकन/शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान किए गए व्यय से संबंधित व्यय सम्मिलित है।

15.10 सब्सिडी के लिए पात्रता दिल्ली फिल्म नीति 2022 की अधिसूचना की तिथि से शुरू होती है।

15.11 सब्सिडी नीचे परिभाषित स्कोरिंग प्रणाली के अनुसार अर्जित अंकों की संख्या के आधार पर दी जाएगी:

क) भारतीय/विदेशी प्रस्तुतियों के लिए बिंदु आवंटन:

स .	श्रेणी	मानदंड	अंक	अधिकतम प्राप्य अंक
1	दिल्ली के संदर्भ में फिल्म सेट	दिल्ली लोकेशंस का स्क्रीन टाइम (दिल्ली का कवरेज) >75% 51%- 75% 25%-50% 5%- 25% <5%	10 8 6 4 2	10
2	दिल्ली में शूटिंग के दिनों की संख्या	न्यूनतम दिन 5 दिन 20-5 दिन से अधिक 20	1 5 10	10
3	दिल्ली स्थित कुशल कर्मिंदल और सहायक संसाधन अपेक्षित दस्तावेज: दिल्ली का वोटर कार्ड	कार्यरत्न स्थानीय कर्मिंदल की संख्या : >75% 51%- 75% 26%-50% 5%- 25% <5 %	10 8 6 4 2	10
4	लाइन* से नीचे योग्य प्रोडक्शन लागत दिल्ली में वहन होगी	>100 करोड़ 50- 100 करोड़ 20-50 करोड़ 10-20 करोड़ 5-10 करोड़ 5 करोड़	10 8 6 4 2 1	10

* विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश लाइन से नीचे योग्य उत्पादन लागत को कवर करेंगे

ख) विदेशी प्रस्तुतियों के लिए अतिरिक्त बिंदु आवंटन

क्र.स .	श्रेणी	अधिकतम प्राप्य अंक
1	दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पंजीकृत प्रोडक्शन एजेंसियां	2
2	दिल्ली में स्थित लाइन प्रोड्यूसर /प्रोडक्शन सर्विस कंपनी के साथ साझेदारी	2

ग) प्रदान की जाने वाली सब्सिडी

- सभी क्षेत्रीय फिल्मों और विदेशी फिल्मों सहित भारतीय फिल्मों को दी जाने वाली सब्सिडी स्कोरिंग प्रणाली में प्राप्त अंकों पर आधारित होगी। अधिकतम प्राप्त अंक 40/44 (भारतीय/विदेशी फिल्म निर्माण के आधार पर) हैं और न्यूनतम पात्रता अंक 20 हैं।
- सब्सिडी के लिए पात्रता दिल्ली फिल्म नीति 2022 की अधिसूचना की तिथि से शुरू होती है।

क्र.स .	मानदंड	अंक स्तर (36-40) *(36-44)	अंक स्तर (31-35) *(31-35)	अंक स्तर (26-30) *(26-30)	अंक स्तर (20-25) (25-20)*
1	प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म की शूटिंग दिल्ली में	%25सब्सिडी	%20सब्सिडी	%15सब्सिडी	%10सब्सिडी
2	वापिस आने वाले प्रोड्यूसरों के लिए इन्सेनटिव	%25सब्सिडी	%20सब्सिडी	%15सब्सिडी	%10सब्सिडी
3	प्रोडक्शन हाउस की डेब्यू फिल्म	%15सब्सिडी	%10सब्सिडी	%8सब्सिडी	%5सब्सिडी

* अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुतियों के लिए स्कोर रेंज

कुल सब्सिडी की अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये है।

16. दिल्ली फिल्म कार्ड

16.1 दिल्ली फिल्म कार्ड फिल्म निर्माताओं/निर्माण एजेंसियों को विशेष डील और पैकेजों की पेशकश करने के लिए आरंभ किया जाएगा। दिल्ली फिल्म कार्ड रियायती सेवाओं जैसे दिल्ली के अंदर यात्रा, सामान, आवास और सुरक्षा अर्थात् दिल्ली की लोकेशनों पर कार्मिक प्रबंधन के लिए पैकेज प्रदान करेगा। पैकेजों के प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देश दिल्ली पर्यटन के फिल्म शूटिंग संवर्धन प्रकोष्ठ द्वारा कार्यान्वित किये जायेंगे।

16.2 दिल्ली फिल्म कार्ड फिल्म निर्माताओं और फिल्म निर्माण एजेंसियों को शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगा, जिसे समय-समय पर नवीनीकृत किया जा सकेगा। संचालन दिशानिर्देशों में विवरण सम्मिलित किया जाएगा।

16.3 फिल्म कार्ड की प्रारंभिक कीमत 1.00 लाख रुपये होगी जिसे हर साल नवीनीकृत किया जा सकता है।

17. शुल्क और जमा

- दिल्ली में सभी चिन्हित फिल्म लोकेशनो पर शूटिंग के लिए मानकीकृत शुल्क स्लैब निर्धारित किए जाएंगे, जिन्हें सभी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ परामर्श के बाद तय किया जाएगा।
- शुल्क को विभिन्न प्रकार की फिल्मों जैसे वाणिज्यिक फिल्मों, लघु फिल्मों, वेब श्रृंखला, टीवी शो, वृत्तचित्रों और ओटीटी परियोजनाओं के लिए तर्कसंगत बनाया जाएगा।
- हितधारक एजेंसियों द्वारा जमा सिक्योरिटी राशि, जहां भी लागू हो, की वापसी शीघ्रता से करने के प्रयास किए

जाएंगे और आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के भीतर प्रदान किए जाएंगे।

18. फिल्म इकाइयों की सुरक्षा और बचाव

- (i) डीटीटीडीसी सुरक्षा आवश्यकताओं पर दिल्ली में शूटिंग करने वाले फिल्म निर्माताओं और प्रोड्यूसरों का मार्गदर्शन करेगा।
- (ii) फिल्म इकाइयों को उनके अनुरोध पर कार्मिक प्रबंधन में विशेष रूप से प्रशिक्षित सिविल डिफेंस वालंटियर (सीडीवी) उपलब्ध कराए जाएंगे। संचालन दिशानिर्देशों में विवरण शामिल किया जाएगा। तथापि, कानून एवं व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास रहती है, जैसा कि उनके द्वारा अनुमति प्रदान की गई हो।

19. शूटिंग स्थलों का विकास

- i. सभी हितधारक एजेंसियां फिल्म शूटिंग स्थलों और संबंधित बुनियादी ढांचे जैसे विरासत स्थलों, नागरिक बुनियादी ढांचे, पार्कों और उद्यानों, सड़कों, रेलवे स्टेशनों और कैरिजों, मेट्रो स्टेशनों और ट्रेनों आदि के विकास को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगी। इसमें वाणिज्यिक आयोजनों के लिए ली गई दरों की तुलना में फिल्म शूटिंग के लिए अलग और कम दरों को लागू करना शामिल होगा।
- ii. डीटीटीडीसी दिल्ली सरकार और निजी हितधारकों के साथ शूटिंग के उत्कृष्ट स्थलों की पहचान करेगा और उन्हें सूचीबद्ध करेगा।
- iii. दिल्ली और सरकारी बुनियादी ढांचे के लिए विशिष्ट स्थलों को फिल्म की अवधारणा के आधार पर संभावित फिल्म शूटिंग स्थलों के रूप में प्रचारित किया जाएगा।

20. आवास और परिवहन सुविधाएं

- i. विभिन्न बजट श्रेणियों में होटलों और गेस्टहाउसों को डीटीटीडीसी के साथ सूचीबद्ध करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- ii. फिल्म इकाइयों को उनके ठहरने की अवधि के लिए डीटीटीडीसी के सूचीबद्ध गेस्टहाउसों और होटलों में विशेष दरों पर बोर्डिंग और लॉजिंग की पेशकश की जाएगी।
- iii. डीटीटीडीसी फिल्म इकाइयों को आवास के स्थान से यात्रा के लिए उनके फिल्म कर्मीदलों को परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा।

21. फिल्मी संसाधनों का संकलन

डीटीटीडीसी दिल्ली में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों, जो आकर्षक और फिल्मांकन योग्य हैं, के विवरण को प्रमुखता से प्रदर्शित करने वाले फिल्मी संसाधनों का एक संग्रह तैयार करेगा। दिल्ली को एक प्रमुख फिल्म-शूटिंग गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से इस संग्रह को प्रचारित किया जाएगा।

22. स्थानीय प्रतिभा और कौशल विकास का उपयोग

22.1 फिल्म शूटिंग प्रमोशन प्रकोष्ठ मेकअप कलाकारों, कॉस्ट्यूम डिजाइनरों, हेयरड्रेसर, सेट डिजाइनरों, विजली और प्रकाश तकनीशियनों, स्पॉट बॉय, सहायक निर्देशकों और दिल्ली में आधारित किसी भी अन्य प्रासंगिक भूमिका सहित फिल्म कर्मीदलों और सहायक संसाधनों की एक सूची बनाए रखेगा। प्रकोष्ठ नियमित रूप से फिल्म निर्देशकों और प्रोडक्शन हाउसों के साथ डेटाबेस साझा करेगा। इसे डीटीटीडीसी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

22.2 फिल्म निर्माण पाठ्यक्रमों जैसे सिनेमैटोग्राफी, अभिनय, पटकथा लेखन, निर्देशन, संपादन आदि को दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीईएसयू) और अन्य संस्थानों में डिग्री / व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के रूप में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माण संस्थानों के साथ संबद्धता से शुरू किया जा सकता है।

22.3 फिल्म निर्माण पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए फिल्म कर्मीदल के साथ इंटरनशिप की व्यवस्था की जाएगी।

22.4 100 प्रतिभाशाली और योग्य उम्मीदवारों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान जैसे भारतीय फिल्म और

टेलीविजन संस्थान, पुणे सत्यजीत रे फिल्म, टेलीविजन संस्थान, कोलकाता और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद आदि में फिल्म निर्माण और संबंधित पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए वार्षिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। चयनित छात्रों को आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

22.5 फिल्म निर्माण और फिल्म उद्योग से संबंधित अन्य पाठ्यक्रम संचालित करने वाले नए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के विकास के संबंध में पता लगाया जाएगा।

22.6 एनएसडी और एफटीडीआई, एनआईडी जैसे प्रमुख संस्थानों के दिल्ली में अपने परिसरों की स्थापना के लिए उनके साथ एमओयू/टआई-अप की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

22.7 फिल्म प्रौद्योगिकी, एवीजीसी (एनीमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स), ग्राफिक्स और संबंधित क्षेत्रों में स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जाएगा।

22.8 देश भर में मेकअप कलाकारों, कॉस्ट्यूम डिजाइनरों, हेयरड्रेसर, सेट डिजाइनरों, बिजली और प्रकाश तकनीशियनों, स्पॉट बॉयज, सहायक निर्देशकों को नियमित रूप से प्रचारित किया जाएगा।

23. मार्केटिंग और प्रमोशन

डीटीडीडीसी दिल्ली को एक विश्व स्तरीय फिल्म शूटिंग गंतव्य के रूप में प्रचारित करने तथा मार्केटिंग करने के लिए विभिन्न माध्यमों जैसे फीचर फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी सीरीज, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों जैसे विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर विभिन्न कदम उठाएगा, जैसे:

क) दिल्ली पर्यटन और अन्य प्रचार अभियानों की ब्रांडिंग में एक उत्पाद के रूप में फिल्म पर्यटन को शामिल करना।

ख) डीटीडीडीसी दिल्ली को फिल्म शूटिंग गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मेलों और एक्सपो, फिल्म फेस्टिवल और ऐसे अन्य ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेगा।

ग) यदि कोई फिल्म, टीवी शो या वेब सीरीज दिल्ली की संस्कृति और विरासत का महिमा मंडन करती है और इसके पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देती है, तो डीटीडीडीसी अपने पर्यटन स्थलों पर ऐसे फिल्म, टीवी सीरीज, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की प्रचार सामग्री को फिल्म निर्माण एजेंसी और उस लोकेशन के हितधारक से परामर्श कर प्रीमियम शुल्क के भुगतान पर प्रदर्शित करेगा।

24. अग्रणी डिजिटल क्रांति

क) डीटीडीडीसी दिल्ली स्थित ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों, टीवी शो और डिजिटल सामग्री निर्माताओं आदि के साथ साझेदारी पर विचार करेगा। डीटीडीडीसी फिल्मों में दिखाए गए लोकेशन के आधार पर अपनी प्रचार गतिविधियों के साथ पर्यटन पैकेजों को बढ़ावा देगा और पर्यटकों और फिल्म निर्माताओं को इन लोकेशनों की मार्केटिंग करेगा।

ख) ओटीटी सामग्री रचनाकारों, डिजिटल सामग्री निर्माताओं और टीवी श्रृंखला निर्माताओं के लिए परिचित दूर की पेशकश की जाएगी और उन्हें आयोजित करेगा, जहां डीटीडीडीसी फिल्म निर्माण एजेंसियों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करने में सहायता करेगा।

ग) ओवर द टॉप (ओटीटी) परियोजनाओं, वेब सीरीज, टेलीविजन धारावाहिकों / शो, डॉक्यूमेंट्री वृत्तचित्र आदि के लिए, इस नीति के तहत लाभ प्रदान करने का निर्णय "फिल्म विकास प्रकोष्ठ" द्वारा लिया जाएगा, जैसा कि नीति के साथ दिनांक 25 फरवरी, 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के नियमों और दिशानिर्देशों जिसे कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली 2021 के रूप में जाना जाता है, में उल्लेख किया गया है।

25. दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (DIFF)

i. डीटीडीडीसी प्रति वर्ष दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन करेगा जिसमें दिल्ली को पसंदीदा फिल्म गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में प्रयोग किया जाएगा। देश भर से और वैश्विक स्तर पर फिल्म इंडस्ट्री को समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को बढ़ावा देने के लिए

डीटीटीडीसी द्वारा विभिन्न प्रचारात्मक कार्यक्रमलाप किए जा सकते हैं।

- ii. दिल्ली में फिल्म कल्चर विकसित करने के लिए डीटीटीडीसी अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर विभिन्न फिल्म सोसाइटीयों और क्लबों को प्रोत्साहित और प्रमोट करेगा।
- iii. डीटीटीडीसी दिल्ली को फिल्म शूटिंग गंतव्य के रूप में प्रमोट करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों, सम्मेलनों में भाग लेगा।
- iv. डीटीटीडीसी लघु वृत्तचित्रों/प्रचार वीडियो बनाएगा और उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों और पर्यटक एक्सपो के साथ-साथ डिजिटल माध्यमों पर प्रदर्शित करेगा।
- v. डीटीटीडीसी दिल्ली में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली द्वारा शुरू की गई पहल और विभिन्न गतिविधियों में फिल्म इंडस्ट्री की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।
- vi. डीटीटीडीसी फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने, सहभागिता बढ़ाने और दर्शकों की विविधता के लिए एक व्यापक सोशल मीडिया रणनीति बनाएगा।

26. दिल्ली फिल्म उत्कृष्टता पुरस्कार (DFEA)

डीटीटीडीसी दिल्ली फिल्म उत्कृष्टता पुरस्कार की स्थापना करेगा जिससे दिल्ली फिल्म उद्योग के विकास और उत्कृष्टता में योगदान करने वाले लोगों को मान देने, सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन किया जाएगा। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष कलात्मक और तकनीकी सिनेमा गतिविधियों में उत्कृष्टता का उत्सव मनाने के लिए की जाएगी। दिल्ली में फिल्माई गई फिल्मों के लिए ये वार्षिक फिल्म पुरस्कार दिल्ली में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहित करेंगे और वैश्विक फिल्म पटल पर दिल्ली को बढ़ावा देंगे। पुरस्कार की विशेष श्रेणियों में रचनात्मक, तकनीकी, कलात्मक और सहायक कर्मचारियों के योगदान को पहचानने के लिए, जिनमें निर्माताओं, निर्देशकों, अभिनेताओं, छायाकारों, लेखकों, ध्वनि और प्रकाश तकनीशियनों, मेकअप कलाकारों, कॉस्ट्यूम डिजाइनरों, स्पॉट बॉयज, लॉजिस्टिक सपोर्ट स्टाफ और फिल्म सलाहकार बोर्ड की सलाह के अनुसार अन्य श्रेणियां शामिल होंगी।

27. विकास में भागीदार

डीटीटीडीसी द्वारा 'विकास में भागीदार' नामक एक पहल की जाएगी ताकि साझेदारी के गठन को सक्षम किया जा सके जो उद्योग को बढ़ाने और नए आयाम प्राप्त करने में मदद करेगा। इन साझेदारियों में दो पक्ष होंगे: जुड़े रहो और व्यस्त रहो।

- i. जुड़े रहो : साझेदारी और कनेक्शन भारत और विदेशों में फिल्म बिरादरी से संबंधित निकायों, सदस्यों और विशेषज्ञों के साथ जुड़े होंगे। इनमें फिल्म एजेंसियों, निर्माताओं, निर्देशकों, लेखकों, अभिनेताओं और फिल्म निर्माण प्रक्रियाओं में शामिल अन्य कर्मी शामिल हो सकते हैं। इन साझेदारियों या कनेक्शनों का गठन नए विचारों के आदान-प्रदान, फिल्म उद्योग के विभिन्न पहलुओं के निर्माण के लिए कार्यक्रमों को विकसित करने और सबसे ऊपर, दिल्ली को भारतीय और वैश्विक फिल्म बिरादरी के अभिन्न अंग के रूप में ब्रांडिंग करने के लक्ष्य के साथ किया जाएगा।
- ii. व्यस्त रहो: आउटरीच कार्यक्रम और गतिविधियां युवाओं, सिनेमा पारखी, फिल्म आलोचकों, ब्लॉगर्स, समीक्षकों, सोशल मीडिया प्रभावकों सहित दर्शकों के लिए आयोजित किए जाएंगे। इन गतिविधियों से दिल्ली फिल्म इंडस्ट्री और दिल्ली द्वारा पेश किए जाने वाले सिनेमा उत्पाद उपभोक्ता दर्शक के बीच/सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा।

28. पाइरेसी और फिल्मों की अवैध प्रदर्शनी पर रोक

फिल्म उद्योग विभिन्न संचार माध्यमों से फिल्मों की पाइरेसी और अवैध प्रदर्शनी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दिल्ली सरकार प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण फिल्में देखने के दर्शकों के अधिकार की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाइरेसी और फिल्मों की अवैध प्रदर्शनी की जांच से संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

29. परिचालन दिशानिर्देश

दिल्ली फिल्म नीति 2022 के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश अलग से जारी किए जायेंगे।

TOURISM DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, 13th May, 2022

No. PR & Pub./923/DTTDC/2018/PF-V/150 R&I.—The Government of National Capital Territory of Delhi vide Cabinet Decision No. 3069 dated 24.02.2022 approved the 'Delhi Film Policy-2022'. Therefore, the 'Delhi Film Policy-2022', as specified in Annexure -1 to this notification, is hereby notified with immediate effect, with following Cabinet Decisions;

1. To authorize Hon'ble Minister of Tourism, Government of Delhi, to bring in any consequential changes covering any operational issues in the approved 'Delhi Film Policy-2022', as and when required.
2. To authorize MD & CEO, DTTDC to frame detailed operational guidelines for implementation of the approved 'Delhi Film Policy-2022', with the approval of Hon'ble Minister of Tourism, Government of Delhi.
3. To fund to this 'Delhi Film Policy-2022' by covering under GIA to DTTDC for 'Branding Delhi'.

By Order & in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,
SWATI SHARMA, Secy. Tourism

**DELHI FILM POLICY 2022**

“Disclaimer”

High security zones i.e, near Rashtrapati Bhawan, North Block & South Block, Raj Path, Parliament House, India Gate etc. would not be under the purview of this Policy. Thus, this Policy will not be applicable for such high security zones. For film shootings in these areas, specific approvals from Government of India would be required.

The permissions granted through the Online Single Window Clearance Mechanism i.e, e – Film Clearance would also be subject to guidelines/ instructions of Ministries/Institutions of Government of India issued from time to time.

1. Introduction

Delhi is a popular tourist destination in India and the world. It is a vast city with diverse culture, diverse people and diverse landscape. Delhi is the perfect destination for film shootings in India. The city boasts of a very healthy blend of old heritage and modern grandeurs and as such it offers best of both worlds to the film makers. While on the one hand, we can see lively streets of Old Delhi, on the other hand, we have quaint streets of Rajpath and nearby areas. Delhi also has various popular film locations that have been used in the movies for the aesthetic backdrop.

In Delhi, about 30 films are shot every year which seems way below its actual potential. Delhi has immense capacity to emerge as a leader in film production by leveraging its geo-physical, political, regional, historical and cultural context and creating a favorable environment for a thriving film industry. There are many film producers, directors, writers and actors who belong to Delhi and are utilizing their talents in cities like Mumbai, Chennai, Hyderabad etc. Introduction of a Film Policy with incentives and measures to boost such talent will be beneficial in retaining talent in the city and creating appropriate employment opportunities.

It has been consistent endeavour of the Government to take proactive steps for easing the process of doing business in Delhi. In continuation of these efforts and in order to provide a friendly and efficient film making ecosystem to the producers, it is prudent to simplify the existing processes and practices for granting filming approvals so as to further ease film making in Delhi.

Welcome to the Delhi Film Policy 2022

2. Vision

To create an enabling environment that encourages inclusive growth in tourism by supporting film-making in the National Capital Territory of Delhi.

3. Definition

- ‘Policy’ means the Delhi Film Policy 2022;
- ‘GNCTD’ means Government of National Capital Territory of Delhi;
- ‘DTTDC’ means Delhi Tourism & Transportation Development Corporation Ltd./ Delhi Tourism;
- ‘MD/ MD & CEO’ means Managing Director/ Managing Director and Chief Executive Officer, DTTDC;
- ‘Government of India (GoI)’ means Ministries, Departments, Institutions and Autonomous Bodies of Government of India.
- ‘Film’ means a cinematograph film.
- ‘Cinematograph film’ means any work of visual recording and includes a sound recording accompanying such visual recording and “cinematograph” shall be construed as including any work produced by any process analogous to cinematography including video films and shall include feature films, short films, documentaries, TV Series, Web Series and ad films.

4. Objectives

The Delhi Film Policy 2022 intends to brand the national and international profile of Delhi through films. The following stipulates key objectives of the Delhi Film Policy 2022:

1. To promote artistic, creative and cultural expressions
2. To brand Delhi as a vibrant film shooting destination by easing approval processes for film shooting
3. To build large, enthusiastic audiences for films shot in Delhi, both at the domestic and global level
4. To develop and support local talent and provide skilled ecosystem in Delhi

5. Strategy

To achieve the objectives of the Delhi Film Policy 2022, three broad frameworks are necessary to promote and

encourage film shoots in Delhi:

5.1 Institutional Measures

Online Single Window Clearance Mechanism (e – Film Clearance)

The Online Single Window Clearance Mechanism (e – Film Clearance) will support and promote development of films in Delhi. The Delhi Film Policy 2022 aims for ease of doing film business. The mechanism will fast track approval processes for film shooting from various stakeholder agencies. About 25 agencies will be connected online with Delhi Tourism and Transportation Development Corporation (DTTDC, hereinafter called Delhi Tourism), an undertaking of Govt. of Delhi, and the film production houses. Delhi Tourism shall be designated as the Nodal Agency for this purpose.

5.2 Policy Measures

To promote Delhi as a Film Tourism Destination, policy measures will be vital for establishing Delhi as a shooting and film producing destination. The Delhi Film Policy 2022 shall offer incentives and further develop shooting locations in Delhi by building and enhancing film-related facilities and infrastructure. These measures will attract film production agencies and establish film making in Delhi. In addition, there will be promotion of Delhi for film shootings through participation in various international, national and local industry events and hosting festivals and other similar events with film-fraternity participants.

The following measures have been identified to make Delhi an attractive destination for film shootings:

1. There shall be administrative measures and incentives for making the Delhi Film Policy 2022 a success
2. A Film Shooting Promotion Cell shall be established within Delhi Tourism. In addition, a Film Facilitation Committee, Film Development Cell and a Film Advisory Board shall be constituted for ensuring ease of film making in Delhi
3. Delhi Film Policy 2022 shall establish Delhi Film Fund for branding Delhi as a tourist destination. This Fund shall be utilized for supporting and promoting filmmakers and production agencies
4. A Delhi Film Card shall be launched to offer specific services and amenities to film production agencies for shooting in Delhi. Special packages shall be offered to production agencies of sister cities of Delhi.

5.3 Supporting Measures

These measures shall support the development of highly skilled workforce for film production agencies in Delhi. The Delhi Film Policy 2022 aims for the professional development and training of Delhi's local talented youth including cast, crew, extras, technicians and many more. Delhi's skill ecosystem will create a robust professional ecosystem in Delhi.

6. Policy Period

The Policy shall remain in operation for a period of 5 years, from May 2022 or until substituted by another Policy, whichever is earlier. The Policy provisions, however, may be amended from time to time to cater to the changing needs and requirements of the film production agencies, in consultation with the Film Advisory Board.

7. Nodal Agency for Obtaining Approvals

- 7.1 Delhi Tourism and Transportation Development Corporation (DTTDC), a government undertaking of Government of Delhi, has been designated as the Nodal Agency for easing the approval processes for film production agencies by coordinating with various stakeholders in Delhi.
- 7.2 For this purpose, DTTDC shall develop an online institutional mechanism for coordination with the agencies concerned and all other stakeholders to facilitate film production agencies/film makers in obtaining necessary approvals for shooting. The entire process of approval shall be cleared within 15 calendar days.
- 7.3 If approval is not proposed to be granted in the stipulated time period, the agency shall communicate to the applicant and Delhi Tourism providing clear reasons for the delay.
- 7.4 However, if approval is not granted within the given time frame, deemed approval will be granted by Delhi Tourism, unless the agency informs Delhi Tourism about reasons for not being able to grant the approval in time. However, this information must reach Delhi Tourism within 15 calendar days of receipt of online application.
- 7.5 If the filmmakers or producers want to get the approvals in lesser time (like 10 days or 5 days before shoot

or lesser number of days) because of any actor's dates' issue or any other reason, then the approval can be considered (provided all norms are followed). However, a premium amount as decided by the authorities concerned would be charged for such cases.

- 7.6** In addition, once approval is given to the film production agencies/film-makers, film shootings can-not be stopped for any reason whatsoever except under extenuating circumstances. And, in that case, timely information has to be provided to Delhi Tourism and the film production agency.

8. Online Single Window Clearance Mechanism: 'e – Film Clearance'

- 8.1** An Online Single Window Clearance Mechanism (e-Film Clearance) shall be created by Delhi Tourism to provide greater transparency, grant time bound approvals and better coordination between stakeholder agencies and production firms. This will reduce the time and effort of film production units and filmmakers for shooting in Delhi.

The online mechanism will have the following features:

1. DTTDC shall act as the Nodal Authority for managing and operating the 'Film Shooting Single Window Portal' on DTTDC website
2. The online portal shall have a clear mechanism for obtaining approvals for shootings at both DTTDC and non-DTTDC locations
3. Multi-level user log-in option would be linked with access permissions –
 - (i) The system shall have the mechanism to provide access to all stakeholders including applicants, administrator (Delhi Tourism) and the respective approving authorities.
 - (ii) All location specific approving authorities of Delhi and Government of India, besides independent agencies, shall have access to the system.
 - (iii) The system shall have a mechanism to obtain both location-specific approvals and statutory approvals (including approval from Delhi Police).
 - (iv) The system shall list all the film shooting locations of various stakeholders.
 - (v) The system shall have a mechanism for automatic allocation of application to respective authorities depending on location requirement of each application.
 - (vi) The system shall have a mechanism to allow approving authorities to accept and reject applications for specific locations.
 - (vii) The system shall have provision for online payments.
 - (viii) The system shall have a mechanism for easy communication through notification and alerts via SMS / email between various stakeholders and the applicant.
 - (ix) The system shall generate acknowledgement receipt after successful submission of an application.
 - (x) The system shall have a mechanism to track the progress of each application.
 - (xi) The system shall generate permission letter that can be downloaded in the applicant login.
 - (xii) The system shall have a mechanism to allow applicants to submit feedback for grievance redressal.

9. Film Shooting Promotion Cell

A Film Shooting Promotion Cell (FSPC) shall be set up in DTTDC. This Cell shall undertake the following responsibilities:

- i. It shall register Production Service Companies/ Line Producers interested in film shootings in Delhi. For this purpose, all information shall be readily accessible on Delhi Tourism website. The website shall act as one single platform for enrolment of professionals and access of information by filmmakers.
- ii. It shall set up a mechanism for providing annual scholarships/stipends to students of Delhi, studying in National School of Drama (NSD), Delhi, Film and Television Institute of India (FTTI), Pune, and Satyajit Ray Film & Television Institute, Kolkata, National Institute of Design, Ahmedabad, or any other recognized and reputed Training Institute with the approval of Film Development Cell.
- iii. It shall develop Standard Operating Procedures, detailed guidelines, rules, process checklist and all required

formats and agreements, among others, essential for implementation of Delhi Film Policy.

- iv. The Cell shall maintain a list of Delhi-based production houses and communicate with them regarding approvals, new schemes, and promotion activities undertaken by GNCTD for attracting filmmakers to Delhi for film production.
- v. It shall maintain a regularly updated library database of Delhi-based film crew on its website such as make-up artists, costume designers, hairdressers, set designers, electricity and lighting technicians, spot boys, assistant directors, and other professionals related to the film industry. It will provide an easy access for information to production houses for utilizing local Delhi talented youth for film shoots in Delhi.
- vi. For Line Producers, it would be mandatory to update their own profile, from time to time and present the previous work they have done, along with a work satisfaction letter from the producers so that people who are searching for line producers on website can also see the ratings and the potential of the Line Producers, based on their professional skills.
- vii. It shall address concerns and/ or complaints pertaining to the processes of obtaining approvals and any other matter of importance through its grievance redressal desk.

10. Film Facilitation Committee

A Film Facilitation Committee chaired by the MD & CEO, DTTDC, shall be formed and consist of the nodal officers of stakeholder agencies. The Committee shall comprise of additional directors or above level officers from various agencies, departments, authorities and other key stakeholders including:

- i. Archaeological Survey of India (ASI)
- ii. Central Public Works Department (CPWD)
- iii. Delhi Development Authority (DDA)
- iv. Delhi Transport Corporation (DTC)
- v. Delhi Metro Rail Corporation (DMRC)
- vi. Delhi International Airport Limited (DIAL)
- vii. Directorate General of Civil Aviation (DGCA)
- viii. Department of Environment and Forest, GNCTD
- ix. Department of Art, Culture and Languages, GNCTD
- x. Department of Revenue, GNCTD
- xi. Department of Tourism, GNCTD
- xii. Deputy Commissioner of Police (Law & Order)
- xiii. Deputy Commissioner of Police (Traffic)
- xiv. East Delhi Municipal Corporation (EDMC)
- xv. ISKCON Temple Trust
- xvi. Jama Masjid and Hazrat Nizamuddin Dargah
- xvii. New Delhi Municipal Council (NDMC)
- xviii. North Delhi Municipal Corporation (North DMC)
- xix. Northern Railways
- xx. Public Works Department, GNCTD (PWD)
- xxi. South Delhi Municipal Corporation (SDMC)
- xxii. Sports Authority of India (SAI)
- xxiii. Sundar Nursery, Nizamuddin
- xxiv. Any other department of GNCTD or Govt. of India and agency as per request of Film Production Agency.

The Committee shall meet quarterly to discuss and deliberate on steps to be taken for efficient operation of e- Film Clearance.

11. Film Development Cell

A Film Development Cell shall be constituted by Delhi Tourism for the development and promotion of film making in Delhi by national and international filmmakers. The Cell will be co-chaired by the Managing Director & CEO, Delhi Tourism and a leading film personality such as a filmmaker, director, actor or producer from the film industry. It shall consist of government officials, technical professionals, and experts from the film industry.

The Cell would have the following responsibilities:

1. The Cell shall monitor the implementation of Delhi Film Policy 2022 and decide the eligibility of filmmakers/ producers to receive incentives
2. It shall periodically discuss strategies for the development and promotion of films in Delhi
3. It shall act as an advisory body for releasing funds and sanctioning film sector related projects with capital investments
4. The Film Development Cell shall meet once in six months.

12. Film Advisory Board

The Film Advisory Board will advise and guide on how best to achieve the Delhi Film Policy 2022 goals. It shall consist of leading film makers and professional (subject matter) experts who would provide insights and ideas on how to promote film making in Delhi and engage community for inclusive growth. They would share current knowledge for achieving excellence in objectives of the Delhi Film Policy 2022.

13. Implementation

- 13.1** All applications for film shooting in Delhi shall be received only on the 'e – Film Clearance' of Delhi Tourism
- 13.2** The Policy shall be applicable to all the eligible national and international filmmakers seeking permission and claiming subsidy/incentive as per the operational guidelines. For all international film-makers and Production Houses, it would be the responsibility of their Line producer/ representative to get all the requisite clearances from Ministry of External Affairs (MEA) and Ministry of Information and Broadcasting (MIB) of Government of India etc.
- 13.3** The 'e - Film Clearance' shall coordinate with all concerned stakeholder agencies to ensure timely approvals on applications received for film shootings
- 13.4** After release of the project, the producer shall submit the application to FSPC, along with the necessary certificates for the incentive in the prescribed format.
- 13.5** A Finance Committee set up by FSPC shall examine the incentive application, and forward to the Chairperson of Film Development Cell along with its recommendations for decision.
- 13.6** FSPC shall make efforts for arranging MOU between DTTDC and various Service Providers in Delhi and NCR region for post-production of Films.
- 13.7** FSPC shall make efforts for arranging MOU between Cinema Hall, Chains of Cinema Halls, other Amphitheaters and Film Distributors in Delhi
- 13.8** An undertaking that the applicants for film shooting through e-Film Clearance shall provide prominent credit to Delhi Tourism, Government of Delhi and locations/ respective Stakeholder agencies, in the film and during promotion activities of the film, must be furnished.
- 13.9** The Following shall be provided by the film makers to Delhi Tourism with all rights for future use at any platforms:
 - a. A short audio and video trailer of the entire Film post release
 - b. A short clip documentary showcasing use of Delhi locations post release
 - c. A behind the scene clips of directors'/ film crew mentioning Delhi post release
 - d. Film poster for Delhi Tourism archives post release
 - e. Social media publicity for Delhi Tourism and locations post release
 - f. High resolution poster images of film/project post release
 - g. 'Filmed in Delhi' in the final production rolling credits post release

along with logo of GNCTD, DTTDC and Location Stakeholders

Details will be provided in the operational guidelines for the same.

14. Delhi Film Fund

The Government of National Capital Territory of Delhi shall establish a Delhi Film Fund for branding of Delhi as a national and international tourism destination from film promotion point of view. This Fund will be used to provide subsidy/incentives for film shootings in Delhi. The incentive provided to a production house/filmmaker would be of two types:

- a. **Performance Based Funding**—It shall be granted for film productions, primarily to reward producers and distributors. It would also be utilized for marketing and promotion purposes for films based in Delhi or shot in Delhi.
- b. **Support Funding**—It shall provide assistance to new and emerging players for marketing and promotional activities for low budget films, telefilms and productions.
- c. Critical criteria for Performance Based Funding and Support Funding would be:
 - a. number of days of shooting in Delhi
 - b. Delhi content in films
 - c. screen time given to Delhi locations
 - d. local artists from Delhi

The Delhi Film Fund shall be endowed with an initial grant of INR 30 Crores.

15. Points and Subsidies

- 15.1 The Film Development Cell shall act as the Nodal Agency for providing incentives for feature films/TV Series/Web series and OTT projects and any other feature films/documentaries as per the provisions of the Policy.
- 15.2 Ad films and TV commercials would not qualify for the points and subsidies.
- 15.3 Film makers must take the CBFC certifications, for theatrical release of films.
- 15.4 For OTT release, the project must be released on any of the following OTT platforms like Netflix, Amazon Prime, Zee 5, Sony liv, Disney hotstar, Voot, MX Player, ALT Balaji. This list would be revised from time to time in the operational guidelines.
- 15.5 If only the pilot of a web series or web film is shot in Delhi, production agency will not be eligible for the subsidy.
- 15.6 For all shoots, only qualified below the line budget will be entertained for subsidy.
- 15.7 Delhi Tourism will release the subsidy amount to the film producer within 90 days, after the film release.
- 15.8 Eligible crew includes make-up artists, costume designers, hairdressers, set designers, electricity and lighting technicians, spot boys, assistant directors, and any other relevant role decided by the Film Development Cell.
- 15.9 Qualified Below The Line Production Cost includes expenditure related to pre-production, production incurred for and during filming/shooting and post production, borne in Delhi by the Film Production Agency.
- 15.10 Eligibility for subsidies starts from date of notification of Delhi Film Policy 2022.
- 15.11 Subsidies shall be granted, based on the number of points earned on a scoring system as defined below:

a. Point Allocation for Indian/Foreign Productions:

No.	Category	Criteria	Points	Max. achievable points
1.	Films set in the context of Delhi	Screen time of Delhi locations (coverage of Delhi): >75%	10 8	10

		51%- 75%	6	
		25%-50%	4	
		5%- 25%	2	
		<5%		
2.	Number of shoot days in Delhi	Minimum 5 days	1	10
		5 – 20 days	5	
		above 20 days	10	
3.	Delhi based skilled crew and support resources. Requirement: Voter card of Delhi	No. of local crew employed	10	10
		>75%	8	
		51%- 75%	6	
		26%-50%	4	
		5%- 25%	2	
		<5 %		
4.	Qualified Below The Line*Production Cost borne in Delhi	>100 cr	10	10
		50- 100 cr	8	
		20-50 cr	6	
		10-20 cr	4	
		5-10 cr	2	
		5cr	1	

* Detailed operational guidelines will cover the qualified below the line production cost

b. Additional Point Allocation for Foreign Productions

No.	Category	Max. achievable points
1	Production Agencies registered in sister cities of Delhi	2
2.	Partnership with a Line producer / production service company based in Delhi	2

c. Subsidies to be Granted

- Subsidies to Indian films including all regional films and foreign films will be based on the points scored in the scoring system. The maximum achievable points are 40/44 (depending on Indian/foreign film production) and minimum eligible points are 20.
- Eligibility for subsidies starts from date of notification of the Delhi Film Policy 2022.

No.	Criteria	Score Range (40-36) (44-36)*	Score Range (35-31) (35-31)*	Score Range (30-26) (30-26)*	Score Range (25-20) (25-20)*
1	1 st film of production house shot in Delhi	25% subsidy	20% subsidy	15% subsidy	10% subsidy
2	Incentives for returning producers	25% subsidy	20% subsidy	15% subsidy	10% subsidy
3	Debut film of production house	15 % subsidy	10% subsidy	8% subsidy	5% subsidy

*score range for international productions

The maximum cap on the overall subsidy is Rs. 3 cr.

16. Delhi Film Card

16.1 Delhi Film Card shall be introduced to offer special deals and packages to filmmakers/production agencies. The Delhi Film Card shall offer a package of discounted services viz. travel within Delhi, logistics, accommodation and security i.e. personnel management at Delhi locations. Operational guidelines of the packages shall be implemented by the Film Shooting Promotion Cell of Delhi Tourism.

16.2 The Delhi Film Card will be available to filmmakers and film production agencies initially for a period of one year, which can be renewed from time to time. Operation guidelines will cover the details.

16.3 The initial Cost of Film Card will be Rs.1.00 Lakh which may be renewed every year.

17. Fees & Deposits

- Standardized fee slabs shall be fixed for shooting at all identified film locations in Delhi to be decided after consultations with all agencies and authorities.
- Fees shall be rationalized for different types of films such as commercial films, short films, web series, TV shows, documentaries and OTT Projects.
- Efforts shall be made for expediting refunds of security deposits by stakeholder agencies, wherever applicable and shall be granted within one month of receipt of application.

18. Safety & Security of Film Units

- DTTDC shall guide film makers and producers shooting in Delhi on security requirement
- Civil Defence Volunteers (CDVs) specially trained in personnel management shall be provided to film units on their request. Details will be covered in operational guidelines. However, law and order and traffic duties remain with Delhi Police, as per approval granted by them.

19. Development of Shooting Locales

- All stakeholder agencies shall make efforts to enhance the development of film shooting locales and related infrastructure such as heritage sites, civic infrastructure, parks & gardens, roads, railway stations & carriages, metro stations & trains etc. This would include implementing separate and reduced rates for film shooting compared with rates charged for commercial events
- DTTDC shall identify and catalogue promising shooting locations along with Delhi government and private stakeholders
- Locations unique to Delhi and government infrastructure will be promoted as potential film shooting locations depending on concept of the film.

20. Lodging & Transport Facilities

- Hotels and guesthouses in various budget ranges shall be invited to empanel themselves with DTTDC
- Film units shall be offered boarding and lodging at special rates at DTTDC empanelled guesthouses and hotels for the duration of their stay

- iii. DTTDC shall facilitate film units for transportation of their film crew to travel from the place of accommodation

21. Compendium of Filmic Resources

DTTDC shall develop a compendium of filmic resources highlighting the details of leading historic, religious and cultural sites located in Delhi, which are attractive and have filming potential. The compendium shall be widely circulated to promote Delhi as a leading film-shooting destination.

22. Use of Local Talent and Skill Development

- 22.1** The Film Shooting Promotion Cell shall maintain a list of crew and support resources including make-up artists, costume designers, hairdressers, set designers, electricity and lighting technicians, spot boys, assistant directors, and any other relevant role based in Delhi. The Cell will regularly share the database with film directors and production houses. It will also be displayed on the DTTDC website.
- 22.2** Filmmaking courses such as cinematography, acting, screenplay writing, directing, editing and others may be introduced as degree/vocational courses in Delhi Skill and Entrepreneurship University (DSEU) and other institutes in affiliation with reputed national and international film making institutes.
- 22.3** Internships with film crews for students of film making courses shall be arranged.
- 22.4** Annual scholarships will be provided for 100 talented and qualified candidates to enrol at film making and related courses at leading training institutes such as Film & Television Institute of India, Pune and Satyajit Ray Film, Television Institute, Kolkata and National Institute of Design, Ahmedabad etc. Application fees for enrolment of the same will be reimbursed to the selected candidates.
- 22.5** Development of new National Level Institutes offering filmmaking and other industry specific courses shall be explored.
- 22.6** MOU/ Tie-up with leading institutes such as NSD, and FTTI, NID among others, shall be explored for setting up their campuses in Delhi.
- 22.7** Start-ups in film technology, AVGC (animation, visual effects, gaming & comics), graphics and related fields shall be promoted.
- 22.8** Regular promotion of make-up artists, costume designers, hairdressers, set designers, electricity and lighting technicians, spot boys, assistant directors to the film fraternity across the country.

23. Marketing & Promotion

DTTDC shall take steps to promote and market Delhi as a world-class film shooting destination for various contents such as Feature Films, Web Series, TV Series, Documentary Films by using various mediums such as:

- a. Include film tourism as a product in branding Delhi Tourism and any other promotional campaigns
- b. DTTDC will participate in tourism fairs and expos, film festivals and other such platforms to promote Delhi as a film shooting destination
- c. If any film, TV show or web series glorifies the culture and heritage of Delhi and promotes its tourist places, DTTDC shall display promotional material of the film, TV Series, Web Series, Documentary Films at its tourist locations in consultation with Film Production agency and location specific stakeholder on payment of a premium fee.

24. Leading Digital Revolution

- a. DTTDC will explore partnerships with Over-The-Top (OTT) platforms, TV shows and digital content producers etc. based in Delhi. DTTDC shall promote tourist packages based on the locations shown in the films as part of their promotional activities and market the locations to tourists and film makers.
- b. Familiarization tours shall be offered to and organized for OTT content creators, digital content producers and TV series producers where DTTDC shall assist in offering logistical support for film production agencies.
- c. For Over-The-Top (OTT) projects, Web Series, Television serials / shows, Documentary etc., the decision for providing benefits under this Policy, shall be taken by the 'Film Development Cell', as mentioned in the Policy, along with the Rules and Guidelines of Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, dated 25th February, 2021, called as the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code), Rules 2021.

25. Delhi International Film Festival (DIFF)

- i. DTTDC shall organize Delhi International Film Festival annually as a platform to promote Delhi as a preferred filming destination. Film-fraternity from across the country and globally, will be invited to the Festival. Various promotional activities may be undertaken by DTTDC to promote Delhi International Film Festival.
- ii. DTTDC shall encourage and promote on its website and social media various film societies and clubs to inculcate a film culture in Delhi
- iii. DTTDC shall participate in various national and international events, conferences to promote Delhi as a Film Shooting destination
- iv. DTTDC shall create short documentaries/promotional videos and screen them at various national and international film festivals and tourist expos as well as on digital platforms.
- v. DTTDC shall encourage the film-fraternity's participation in various activities and initiatives undertaken by Delhi to promote film industry in Delhi
- vi. DTTDC shall create a comprehensive social media strategy to promote film industry, increase engagement and diversify audience.

26. Delhi Film Excellence Awards (DFEA)

DTTDC would establish DFEA to acknowledge, honour and celebrate people who contribute to the growth and excellence of the Delhi Film Industry. These awards shall be announced annually to celebrate excellence in artistic and technical cinematic pursuits. These annual film awards for films filmed in Delhi will encourage film shooting and promote Delhi on the global film landscape. The awards will have special categories to recognise the contribution of creative, technical, artistic, and support staff including producers, directors, actors, cinematographers, writers, sound and light technicians, makeup artists, costume designers, spot boys, logistical support staff and any more as advised by the Film Advisory Board.

27. Partners in Growth

An initiative called 'Partners in Growth' shall be undertaken by DTTDC to enable the formation of partnerships that will help the industry grow and achieve new laurels. These partnerships shall have two verticals: *Get Connected* and *Get Engaged*.

- i. *Get Connected*: Partnerships and connections shall be forged with bodies, members and experts belonging to the film fraternity in India and abroad. These may consist of film agencies, producers, directors, writers, actors and any other personnel involved in film making processes. These partnerships or connections shall be formed with the goal of exchanging new ideas, developing programs for building up the various facets of the film industry and above all, branding Delhi as an integral part of the Indian and global film fraternity.
- ii. *Get Engaged*: Outreach programs and activities shall be conducted for members of the audience including youth, cinema connoisseurs, film critics, bloggers, reviewers, social media influencers. These activities shall foster increased engagement between the Delhi film fraternity and the end consumers of the cinematic products that are offered by Delhi.

28. Prohibition of Piracy and Illegal Exhibition of Films

The film industry has been badly affected by Piracy and the Illegal Exhibition of Films through various communication mediums. Delhi Government is committed to protect the viewer's right of watching certified and quality films. The laws, related to checking piracy and the illegal exhibition of films, will be strictly implemented.

29. Operational Guidelines

These will be issued separately for implementation of the Delhi Film Policy 2022.